

प्रेषक,

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
उन्नाव।प्रबन्धक, हाईटेक पब्लिक स्कूल,
पिपरी, सि०सरोसी, उन्नाव।

/नर्सरी-8/2018-19

दिनांक 08-05-2018

पत्रांक सं०:मान्यता/EM/ 234-17

विषय- आवेदित नर्सरी से कक्षा 08 तक की अंग्रेजी माध्यम की नवीन अस्थाई मान्यता के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त क्रियक इस कार्यालय में प्रस्तुत नर्सरी से कक्षा 08 तक की अंग्रेजी माध्यम की नवीन अस्थाई मान्यता हेतु आवेदन-पत्र के प्रति शासनादेश सं०-419/79-6-2013-18(20)/91 दिनांक 08.05.2013 द्वारा अंग्रेजी माध्यम के आसकीय विद्यालयों की मान्यता हेतु निर्धारित मानकों के प्रति, शासनादेश दिनांक 08.05.2013 में अंग्रेजी माध्यम की मान्यता प्रदान करने हेतु मण्डल पर प्रावधानित मंडलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 23.03.2018 एवं 07.04.2018 में लिये गये निर्णय के अनुसार हाईटेक पब्लिक स्कूल, पिपरी, सि०सरोसी, उन्नाव को नर्सरी से कक्षा-8 तक की अंग्रेजी माध्यम की नवीन अस्थाई मान्यता, निम्नलिखित प्रतिबन्धों का पालन अनिवार्य रूप से करने के आदेश के साथ प्रदान की जाती है। इन प्रतिबन्धों का उल्लंघन करने पर मान्यता प्रत्याहरित की जा सकेगी।

- 01 विद्यालय किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह अथवा एसोसियेशन को लाभ पहुँचाने के लिये संचालित नहीं किया जायेगा।
- 02 इस अस्थाई मान्यता के प्रति किसी प्रकार का शासकीय अनुदान नहीं दिया जायेगा। विद्यालय अनुरक्षण, स्टाफ को वेतनादि हेतु विद्यालय स्ववित्त पोषित होंगे।
- 03 विद्यालय संचालनकर्ता सोसाइटी का सोसाइटी रजि० एक्ट 1860 की धारा 21 के अन्तर्गत पंजीकृत एवं निर्धारित समय पर नवीनीकृत होना अनिवार्य होगा।
- 04 अग्निशमन यंत्र मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना, अग्निशमन यंत्रों के संचालन का स्टाफ को प्रशिक्षण कराया जाना तथा ज्वलन्मूल/हानिकारक पदार्थों को बच्चों की पहुँच से दूर समुचित सुरक्षायुक्त कक्ष में रखने की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
- 05 नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 में प्राविधानित सुरक्षा उपायों/मानकों को सुनिश्चित किया जायेगा तथा भू-तल वाले भवन के लिये अवर अभियन्ता तथा एक से अधिक तल वाले विद्यालय भवन के लिये सहायक अभियन्ता का भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 06 भारत के संविधान में प्राविधानित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यों की सम्प्राप्ति के लिये प्राविधानित समितियों तथा समय समय पर निर्गत शासन के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 07 विद्यालय भवन/परिसर को किसी भी द्वा में व्यवसायिक एवं आवासीय उद्देश्यों के लिये दिन व रात में प्रयोग नहीं किया जायेगा। विद्यालय की सुरक्षा से संबंधित कर्मियों के आवास हेतु छूट रहेगी। विद्यालय भवन परिसर या मैदान को किसी राजनीतिक या गैर शैक्षिक क्रियाकलापों के प्रयोग में नहीं लिया जायेगा। विद्यालय का बाह्य रंग सफेद होना चाहिये।
- 08 विद्यालय का निरीक्षण किसी सरकारी अधिकारी अथवा स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी (खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उनसे उच्च स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी) द्वारा किया जा सकेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के जन्मपदीय/मंडलीय/राज्य स्तरीय अथवा अन्य किसी सक्षम अधिकारी द्वारा विद्यालय से संबंधित सूचनाएँ एवं आख्या मोंगे जाने पर निर्देशानुसार प्रस्तुत करना तथा निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- 09 विद्यालय सोसाइटी का आक्यकतानुसार उपयुक्त निजी भवन होने अथवा कम से कम 10 वर्ष तक किराये/लीज पर (रजिस्टर्ड किरायानामा) होना अनिवार्य है रजिस्टर्ड किरायानामा की उक्त अवधि समाप्त होने पर पुनः कम से कम 10 वर्ष की अवधि के लिये किरायानामा रजिस्टर्ड कराया जाना अनिवार्य होगा।
- 10 प्रत्येक कक्षा में प्रति छात्र 09 वर्गफीट की दर से स्थान उपलब्ध होना/कक्षाकक्ष का क्षेत्रफल 180 वर्गफीट (कम से कम 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था) होना अनिवार्य है। न्यूनतम मानक क्षेत्रफल एवं छात्र संख्या का अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
- 11 शिक्षण कक्षाओं के अतिरिक्त, प्रधान अध्यापक कक्ष, कार्यालय, स्टाफ कक्ष, पुस्तकालय/वाचनालय, छात्र-छात्राओं एवं अध्यापक-अध्यापिकाओं के लिये पृथक-पृथक शैचालय-मूत्रालय की व्यवस्था, पीने हेतु जीवाणु रहित स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था होना अनिवार्य है।
- 12 कक्षा स्तर के अनुरूप छात्रोपयोगी विभिन्न क्रियों की पुस्तकें, खेलकूद का सामान, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट की उपलब्धता अनिवार्य है।
- 13 विद्यालय में संचालित प्रत्येक कक्षा के लिये उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा पसिद द्वारा निर्धारित एवं प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित निर्देशों के अनुरूप शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हतायुक्त विज्ञान/गणित/भाषा/कार्यानुभव शिक्षक-शिक्षिकाओं की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
- 14 नर्सरी से कक्षा-8 के अतिरिक्त अन्य अमान्य कक्षाएँ संचालित नहीं की जायेंगी। सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों को प्रवेश लिया जाना अनिवार्य होगा।
- 15 शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी रखा जायेगा। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा पसिद द्वारा अनुमोदित पाठ्य पुस्तकें ही पाठ्यक्रम में चलाई जायेंगी। अमान्य पुस्तकों का प्रयोग किन्हीं भी द्वा में नहीं किया जायेगा।
- 16 जि०बे०शिक्षा अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना संस्था द्वारा कोई कक्षा अथवा अनुभाग न खोला जायेगा, न ही बन्द किया जायेगा, न समाप्त किया जायेगा, न स्थानान्तरित किया जायेगा। इस मान्यता आदेश के आधार पर शाखा विद्यालय संचालित करना शासनादेश का उल्लंघन माना जायेगा।
- 17 विद्यालय प्रबन्ध समिति को निम्नलिखित और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के कम में उ०प्र० निम्नलिखित और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में प्रावधानित प्रतिबन्धों का पालन करना अनिवार्य होगा।

भवदीय

(बी०के०शर्मा)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
उन्नाव।

पू०सं०:मान्यता/

/2018-19 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आक्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा पसिद, इलाहाबाद।
- 02- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) ष्ट मण्डल, लखनऊ।
- 03- खण्ड शिक्षा अधिकारी, सि०सरोसी, उन्नाव।

MANAGER
HI-TECH PUBLIC SCHOOL
Trans-Ganga City, Pipari-Unnao
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
उन्नाव।